कार्यालय स्वास्थ्य विभाग नगर निगम, बरेली।

पत्रांकः 198 /स्वा0वि0/उप न0स्वा0अधि0/2024–25 दिनांकः 04.12.2024

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या–415/नौ–8–23–89ज/2017 दिनांक 28 फरवरी 2023 के अनुपालन में नगर निगम बरेली द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–2 सन् 1959) धारा–541 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके बरेली नगर निगम सीमा में सुरक्षा या शौक के उद्देश्य से पाले जाने वाले श्वान के अनुज्ञप्ति, नियन्त्रण और विनियमन हेतु बरेली नगर निगम (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि 2023 बनाई गयी है, यदि किसी व्यक्ति/विशेष (जन मानस) को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह 15 दिवस के अन्दर नगर निगम की वेबसाइट nagarnigambareilly.com एवं कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम बरेली में अवलोकन कर सकते है या स्वास्थ्य विभाग नगर निगम बरेली से प्राप्त कर सकते है तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एवं सुझाव किसी भी कार्य दिवस में लिखित रूप से कार्यालय स्वास्थ्य विभाग नगर निगम बरेली में दे सकते है। समय अवधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होगें।

उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, बरेली।

प्रतिलिपिः–

01. मा0 महापौर जी को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
02. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
03. अपर नगर आयुक्त महोदय (प्र0) को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
04. नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
05. कम्प्यूटर आपरेटर, नगर निगम बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह श्वानों से सम्बन्धित पत्र को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
06. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, अमृत विचार व दैनिक जागरण बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नोटिस को केवल एक बार कल के अंक में कम से कम स्पेज में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की दो प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रेषित कर कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, बरेली।

कार्यालय स्वास्थ्य विभाग नगर निगम, बरेली।

(श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023 की शर्ते)

मा0 सदन नगर निगम बरेली द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव बरेली नगर निगम (श्वान के अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि 2023 हेतु आम–जन मानस से आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। उपविधि की शर्ते निम्नलिखित हैः–

अनुज्ञा की शर्ते–(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो श्वान का स्वामी हो जाये अपने स्वामी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपने श्वान स्वामी होने के तथ्य को प्रपत्रों के साथ नगर आयुक्त या नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) कोई भी श्वान स्वामी अपने श्वान को किसी सार्वजनिक स्थान यथा–गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस–पास खुला नहीं छोड़ेगा।

(3) कोई भी श्वान स्वामी अपने श्वान को इस प्रकार से रखेगा या बॉधेगा कि उसके पडोसी या किसी अन्य व्यक्ति को श्वान से कोई आपत्ति न हो।

(4) श्वान गृह स्वच्छ होना आवश्यक होगा कि श्वान गृह को प्रतिदिन धुलाई एवं कीटनाशकों का छिड़काव करना आवश्यक होगा।

(5) प्रत्येक श्वान स्वामी अपने श्वान के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा तथा एतद् पश्चात् यथा उपबन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त ठीक अनुज्ञप्ति 1 वर्ष के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(6) प्रत्येक श्वान स्वामी, लाईसेन्स प्राधिकारी/नगर आयुक्त को अनुज्ञा स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र में श्वान का लिंग, रंग, जाति तथा टीकाकरण, बधियाकरण से सम्बन्धित समस्त सूचना अंकित करेगा। श्वान स्वामी, अन्य कोई सूचना जो व्यक्तिगत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(7) जहॉ ऐसा कोई श्वान जिसके सम्बन्ध में श्वान स्वामी अनुज्ञा शुल्क के नगर निगम को भुगतान का दायी हो, मर जाये, अथवा बेंच दिया जाये या अन्य किसी व्यक्ति या स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जाये तो श्वान स्वामी लाईसेन्स प्राधिकारी को तथ्य की सूचना घटना के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(8) श्वान स्वामी के प्रत्योवदन पर श्वान की नसबन्दी निर्धारित शुल्क जमा करने पर पशु चिकित्सक द्वारा की जायेगी।

(9) पिटबुल प्रजाति को पालना नगर निगम क्षेत्र से प्रतिबंधित किया जाता है।

6– निरीक्षण का अधिकार एवं लाईसेन्स प्राधिकारी–

(1) नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कैनल/श्वान गृह तथा श्वान की उचित देखभाल आदि का निरीक्षण किसी भी दिवस ओर किसी भी समय कर सकता है। श्वान स्वामी को इस निमित नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी लाईसेन्स प्राधिकारी होगा।

7– श्वान के रहने का स्थान–(1) श्वान स्वामी अपने श्वान को स्वच्छ स्थान पर रखेगा और निम्नलिखित उपबन्धों का पालन करेगा।

(क) श्वान के निवास हेतु (स्लीपिंग स्पेस) की निम्नवत् व्यवस्था करना श्वान स्वामी के लिए आवश्यक होगा।

क्र0 सं0	श्वान पशु की संख्या/प्रति परिवार	आवासीय क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)
01.	02	200
02.	04	300
03.	05 या 05 से अधिक	श्वान पशु शेल्टर के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) श्वान गृह को नित्य कीटनाशक से साफ किया जायेगा।

(ग) श्वान स्वामी की नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण कराना आवश्यक होगा।

8–अनुज्ञा शुल्क–(1) श्वान स्वामी द्वारा श्वान के रखने हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगी।

(क) छोटे श्वान (पालतू/नान ब्रीडिंग) 500 रू0 प्रति श्वान

(ख) बडे श्वान (पालतू/नान ब्रीडिंग) 1000 रू0 प्रति श्वान

(ग) ब्रीडिंग हेतु पाले जा रहे श्वान 5000 रू0 प्रति श्वान

(2) इस उपविधि के अधीन प्राप्त लाईसेन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।

(क्रमशः पेज 02 पर)

प्रत्येक अनुज्ञा के साथ लाईसेन्स, प्राधिकारी द्वारा एक मेटल का टोकन, जिसका मूल्य श्वान स्वामी द्वारा अनुज्ञा शुल्क के साथ जमा करना आवश्यक होगा, श्वान स्वामी को प्रदान किया जायेगा। जिस श्वान की गर्दन में मजबूत चमड़े या अन्य किसी पटटे के साथ बांधा जाना आवश्यक होगा जिससे कि निरीक्षण अधिकारी/कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दिखायी दे।

(9) अनुज्ञा का नवीनीकरण–(1) अनुज्ञा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(2) अनुज्ञा का नवीनीकरण नगर आयुक्त/लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर निगम कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(4) यदि ऐसा आवेदन पत्र 2 मई के उपरान्त किन्तु 31 मई के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो नगर निगम अधिनियम 1959 की अनुसूची मे निर्धारित विलम्ब शुल्क 500/–रू0 जमा करना आवश्यक होगा।

(5) यदि 1 जून को अथवा उसके पश्चात् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ अनुसूची में निर्धारित जुर्माना अंकन 50/–रू0 प्रतिदिन दर से जुर्माना जमा करने के उपरान्त ही अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

10– अनुज्ञा का निलम्बन निरस्तीकरण– यदि किसी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी समय लाईसेन्स की शर्तो अथवा लाईसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है/करता है जो कि सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञाधारक को बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् निलम्बित कर दी जायेगी अपराध सिद्व की दशा में निरस्त कर दी जायेगी।

11–निषेध– अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन उक्त अनुज्ञाधारक को नगर निगम बरेली की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के उद्देश्य से नहीं रख सकेगा। ऐसा पाये जाने की दशा में श्वान को जब्त कर लिया जायेगा।

12– प्रशमन/अपील–(1) लाईसेन्स प्राधिकारी का प्रशमन निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूल/जमा करने के उपरान्त कर सकेगा।

(2) लाईसेन्स प्राधिकारी के आदेशें के विरूद्व वाद उत्पन्न होने की दशा में नगर आयुक्त को आदेश के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा नगर आयुक्त के आदेशें के विरूद्व मा0 महापौर जी को अगले 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मा0 महापौर जी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

13– शक्ति– नगर निगम अधिनियम की धारा 550 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करके बरेली नगर निगम एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने की दशा में जुर्माना जो कि अंकन 5000/–रू0 तक हो सकता है और निरन्तर उल्लघंन की दशा में जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्व की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, अंकन 50/–रू0 प्रतिदिन होगा। दण्डनीय होगा।

अतः उपरोक्त उपविधि हेतु अपनी आपत्तियां यदि कोई हो, तो कार्यालय स्वास्थ्य विभाग नगर निगम बरेली को विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये। जिसके पश्चात् कोई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, बरेली।